



छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी, 2024 (माघ 24,1945)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :-
 - (i) एफ 5-5/आठ.परि./2022, दिनांक 1 अगस्त,2023,
 - (ii) एफ 5-7/आठ.परि./2022, दिनांक 18 जुलाई,2023 तथा
 - (iii) एफ 5-11/आठ.परि./2022, दिनांक 14 जुलाई,2023 पटल पर रखेंगे।
- (2) श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे खण्ड 1 एवं खण्ड 2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

- (1) श्रीमती गोमती साय, सदस्य, कुनकुरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम-दुलदुला स्थित श्री नदी में उच्चस्तरीय पुलिया निर्माण कार्य रोके जाने से हो रही परेशानियों की ओर उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण का ध्यान आकर्षित करेंगी।
- (2) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, प्रदेश में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं की ओर उप मुख्यमंत्री, गृह का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

रायपुर,
दिनांक 12 फरवरी, 2024

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा